

भारतीय भेषजी परिषद्

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

भारत सरकार

आई-300, तीसरी मंजिल, टावर-1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

टेलीफोन नंबर 011-65218900-01

E-mail: registrar@pci.nic.in



कामधे दुःखतप्तानाम् प्राणिनामतिनाशनम्

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare)

Government of India

I-300, 3rd floor, Tower-I, World Trade Centre,

Nauroji Nagar, New Delhi-110029

Telephone No. 011-65218900-01

E-mail: registrar@pci.nic.in

DECISION LETTER

Institute Name/Inst ID **maa vindhyavasini mahavidhyalaya / PCI-8109**

State **UTTAR PRADESH**

District **-**

Village/Town/City **divyapur**

Pin Code **261201**

Sir/Madam

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details



Course	Name of Affiliation body/University	Decision	Approval Status	Approval Up to / Academic Session	Intake
D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	396 EC (1.6.2023) decided as under - The deficiencies pointed out in the earlier inspection stands rectified, however as the additional deficiencies pointed out in the latest inspection could not be taken into account, therefore the Institute is granted permission for the Academic Year 2023-2024, however subject to the Principal of the Institution submitting an undertaking on an affidavit within 15 days to the effect that the deficiencies pointed out in the latest inspection stands rectified. Upon submission of the undertaking on affidavit the Institution may be re-inspected later on and the institution would be required to submit compliance in respect of all the deficiencies and the permission for next academic year would be given only if all the deficiencies gets rectified." Deficiencies: 1. Recent I.P. was not available. 2. Machines of machine room were not connected to power supply. 3. SOPs were not present in different labs. D.Pharm Grant approval for 2023-2024 academic session for the conduct of 1st year for 60 admissions for D.Pharm course.	Approved	2023-2024	60

Communication Date: **31 Jul 2023**

Copy to

i) Registrar of the University

ii) Principal of the college

iii) Secretary/Chairman of the Trust/Society

iv) Guard File (PCI)

Note: Validity of the course details may be verified at pci.gov.in

डॉ. मरेन्द्र मु. गोषेकर

For
Registrar-cum-Secretary
PCI

भारतीय भेषजी परिषद्

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

भारत सरकार

आई-300, तीसरी मंजिल, टावर-1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

टेलीफोन नंबर 011-65218900-01

E-mail: registrar@pci.nic.in



कामये दुःखतप्तानाम् प्राणिनामार्तिनाशनम्

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare)
Government of India

I-300, 3rd floor, Tower-I, World Trade Centre,

Nauroji Nagar, New Delhi-110029

Telephone No. 011-65218900-01

E-mail: registrar@pci.nic.in

DECISION LETTER

Institute Name/Inst ID **maa vindhyavasini mahavidhyalaya / PCI-8109**
State **UTTAR PRADESH**
District **-**
Village/Town/City **divyapur**
Pin Code **261201**

Sir/Madam

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details



Course	Name of Affiliation body/University	Decision	Approval Status	Approval Up to / Academic Session	Intake
D.Pharm	BTEUP LUCKNOW	428th EC (4.8.2025) under Item No. 10 decided as under- D.Pharm Grant approval from 2023-2024 to 2025-2026 academic session for 60 admissions u/s 12 of the Pharmacy Act for D.Pharm course. The above approval is granted subject to inspection throughout the year. Further, the institution shall register the details of teaching faculty on AEBAS portal within a period of 3 months.	Approved	2025-2026	60

Communication Date: 21 Aug 2025

डॉ. जयदेव मु. गोरेकर

For
Registrar-cum-Secretary
PCI

Copy to

i) Registrar of the University

ii) Principal of the college

iii) Secretary/Chairman of the Trust/Society

iv) Guard File (PCI)

Note: Validity of the course details may be verified at pci.gov.in

कामये दुःखतप्तानाम् प्राणिनामार्तिनाशनम्

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2024/2443

लखनऊ: दिनांक: 11-11-2024

:-कार्यालय ज्ञाप:-

फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय फार्मैसी संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 10-10-2024 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2024-25 हेतु फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं तत्कम में सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2024-25 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2442-MAA VINDHYAVASINI MAHAVIDHYALAYA			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2024-25 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2024-25 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सम्बद्धता विस्तार इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि वर्ष में कभी भी परिषद द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जा सकता है।
- ✓ संस्था फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ पी०सी०आई० के मानक के अनुरूप समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा।
- ✓ उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2024-25 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का फार्मसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन विस्तार निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व फार्मसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू0राइज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2025/2252552

दिनांक: 29-09-2025

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAA VINDHYAVASINI MAHAVIDHYALAYA



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव